भलमती बनाम सुगणी
2024 / 69
संशोधित निर्णय दिनांकः–27.01.2026

सत्यमेव जयते

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी –केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 2024 / 69 दर्ज तिथिः–06.02.2024

1. भलमती देवी पत्नी रामचन्द्र
   जाति विश्नोई निवासी देशांतरीनाडी तहसील गुडामालानी

..................वादी

बनाम

1. सुगणी पुत्री रामचन्द्र
2. गणपतलाल पुत्र किशनाराम
3. तुलसीदेवी पत्नी हरचन्द
4. भागीरथराम पुत्र विरधाराम
5. सुखराम पुत्र फगलूराम
6. सिणगारी पत्नी किसनाराम
7. लाछी पत्नी फगलू
8. लाधूराम पुत्र पैलादराम
9. लाधुराम पुत्र हरचन्दराम
10. सुजानाराम पुत्र हरचन्दराम
11. वरजूदेवी पत्नी सवाईराम
12. शांतिदेवी पत्नी हेमाराम
    जाति विश्नोई निवासी पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी

...............असल प्रतिवादीगण

14. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई बैंक शाखा गुडामालानी
15. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई बैंक शाखा राणा प्रताप बाजार गुडामालानी
16. तहसीलदार गुडामालानी ....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः– श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणः– श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा– 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

—:निर्णयः—

संशोधित निर्णय तिथिः—27.01.2026

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 का बाबत घोषणा, तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा वास्ते निर्णय किये जाने पेश हुआ है। प्रकरण का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी की ओर से वाद पत्र अन्तर्गत धारा—53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत पेश कर निवेदन किया गया कि संयुक्त आराजी खसरा संख्या 18/17.8871 है0, 178/18/3.7231 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी में अवस्थित है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं प्रतिवादीगण असल की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में वादीगण के हिस्से खुले हुए हैं तथा आराजी संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। यह विवादित आराजी अविभाजित है जिसका राजस्व रिकॉर्ड में अभी तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है। असल प्रतिवादीगण वादीगण की उक्त हिस्सा आराजी के कुल कार्य काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करते हैं एवं जबरन लठ के बल कब्जा कर वादी को अपने हिस्सा आराजी से बेदखल कर निर्माण कार्य, दीगर लोगों रहन बैय मुन्तकिल करना चाहते है। अंत में वाद पत्र में उक्त विवादित आराजीयात का पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा किया जाकर कुर्रेजात कायम कराया जाकर अलग से खाता कायम कराया जाकर सहखातेदारों के लिए रास्ता कायम किया जाकर तकसीम शुदा आराजी का अमल राजस्व रिकॉर्ड में कराया जाकर वादी को तकसीम शुदा आराजी पर दखल दिलाया जाने का निवेदन किया गया।

2. वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा बाद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय नहीं होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में विद्वान अभिभाषक वादीगण की जिरह सुनी गई। विद्वान अभिभाषक वादी ने दौरान ए जिरह संयुक्त आराजी में से अपना खाता मुताबिक जमाबंदी पृथक कर बंटवारा किये जाने का निवेदन किया।

3. प्रकरण में अभिभाषक वादी द्वारा दौरान—ए—बहस बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवारा किये जाने पर सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 30.05.2024 को जारी की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी से कुर्रेजात रिपोर्ट तलब की गई। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक/कोर्ट/आर.ए./2025/694 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम—1955 के नियम—18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट प्रेषित की गई। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रतिवादी संख्या 01, 2, 04, 06 एवं 12 जरिये असालतन—वकालतन हाजिर न्यायालय होकर जवाब हेतु अवसर प्रदान किये जाने जाने के साथ विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु अवसर प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया। अभिभाषक प्रतिवादीगण को विभाजन प्रस्ताव पर आपत्ति हेतु अवसर प्रदान किया गया। परंतु अभिभाषक प्रतिवादीगण द्वारा कोई लिखित आपत्ति पेश

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

नहीं करते हुए सीधे बहस किये जाने का निवेदन किया गया। उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर अभिभाषक वादी द्वारा सहमति प्रदान की तथा प्रकरण में अंतिम बहस सुनी गई। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता वादी द्वारा मुताबिक तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रेषित कुर्रेजात रिपोर्ट के अनुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया। दौरान–ए–बहस अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा मौका कब्जा अनुसार विभाजन प्रस्ताव प्राप्त नहीं होने के आधार पर विभाजन प्रस्ताव पुनः तलब किये जाने का निवेदन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा अपने पत्रांक / कोर्ट / आर.ए. / 2025 / 694 दिनांक 28.04.2025 के द्वारा राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मंडल) नियम–1955 के नियम–18 लगायत 21 के अनुसार मौका कुर्रेजात रिपोर्ट को तैयार करने की प्रक्रिया का विवरण निम्न प्रकार हैः–

प्रक्रिया हेतु प्रावधान	अपनायी गई प्रक्रिया
21. Preparation of map and demarcation of sub-divided fields. *- The Tehsildar shall prepare and place on record map showing in different colours the plots given to each party, and if any field has been sub-divided, he shall demarcate the portion at the expense of the parties.*	प्रकरण में दिनांक 11.03.2025 को तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मय पटवारी / गिरदावर स्वयं मौका निरीक्षण किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।
प्रकरण में पक्षकारो को मौका निरीक्षण हेतु जरिये नोटिस मौका निरीक्षण की दिनांक के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।	1. प्रकरण में समस्त वादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 676–689 दिनांक 02.03.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 11.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई। 2. प्रकरण में समस्त प्रतिवादीगण को मौका निरीक्षण हेतु कार्यालय तहसीलदार तहसील गुड़मालानी के नोटिस पत्रांक 676–689 दिनांक 02.03.2025 द्वारा मौका निरीक्षण की दिनांक 11.03.2025 के बारे में पूर्वसूचित किया जाकर मौका रिपॉर्ट तैयार की गई।

4. प्रकरण में वादी द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट पर दी गई सहमति एवं बहस पर मनन किया एवं संलग्न दस्तावेजात् जमाबंदी संवत् 2073–2076 तथा कुर्रेजात रिपोर्ट का ध्यानपर्वूक अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण हाल आराजी खसरा संख्या 18 / 17.8871 है0, 178 / 18 / 3.7231 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी के संयुक्त खातेदार है। उक्त वर्णित संयुक्त आराजी वादीगण एवं असल प्रतिवादीगण की शामलाती कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी है। जिस संयुक्त आराजी में वादीगण तथा असल प्रतिवादीगण का हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड होना प्रमाणित होता है। उक्त विवादित आराजीयात अविभाजित है एवं

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान के मध्य विधिक तकासमा नहीं हुआ है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किये जाने का निवेदन किया गया है। परंतु विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा इस संबंध में कोई विशेष कथन/आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिवादीगण को दावा प्रस्तुत होने एवं विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व विधिवत रूप से पूर्वसूचित किया गया है। जिसके तामिलशुदा नोटिस पत्रावली पर उपलब्ध है। इस प्रकार प्रतिवादीगण की पूर्वसूचित उपस्थिति में उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार किया होने एवं प्रतिवादीगण द्वारा कोई विशेष आक्षेप प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण पुनः विभाजन प्रस्ताव तलब किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में पक्षकार की कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को ध्यान में रखते हुए पक्षकारान के मध्य उक्त विवादित आराजीयात् का विधिक तकासमा किया जाना आवश्यक है अतः दावा वादीगण मुताबिक विभाजन–प्रस्ताव (कुर्रेजात रिपोर्ट) मय नक्शा–ट्रेस के अनुसार डिक्री किया जाना न्यायोचित है।

5. प्रकरण में वादी द्वारा तकसीम आराजी के साथ–साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष का भी जिक्र किया गया। प्रकरण में वादी के अनुतोष के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः–

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

6. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा–188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

7. इस प्रकार स्पष्ट है कि प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन के अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में वादी का प्रथम अनुतोष स्वीकार होने के पश्चात् मुतनाजा आराजी पर वादी का संयुक्त काश्तकार घोषित होने के आधार पर वादी की संयुक्त खातेदारी होना पूर्ण रूप से साबित होती है। अतः मुतनाजा आराजी पर मुताबिक हिस्सा वादी का संयुक्त स्वामित्व अविवादित है। प्रकरण में वादीगण व प्रतिवादीगण की आराजी का विभाजन किया जाना प्रस्तावित है। उक्त विभाजन के पश्चात वादीगण व प्रतिवादीगण का पृथक–पृथक खाता कायम किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही हाल में संयुक्त आराजी का रिकॉर्ड में पृथक अंकन किया जाकर मौके पर उसी अनुसार कब्जा भी पृथक से सुपुर्द किया जाना प्रस्तावित है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने हेतु अधिकृत व स्वतंत्र है। इस प्रकार वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध खातेदारी अधिकारों पर नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकता है। इस आधार पर वादीगण व प्रतिवादीगण खाता विभाजन के पश्चात रिकॉर्ड में व मौके पर पृथक–पृथक रूप से अपनी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों का उपयोग–उपभोग बिना किसी बाधा के करने में आपस में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

8. प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र धारा–152 सीपीसी का पेश कर निवेदन किया कि हाजा न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिक्री दिनांक 14.08.2025 की विभाजन तालिका में लिपिकीय त्रुटि से ग्राम पूंजाबेरी के स्थान पर ग्राम बेरीगांव संहवन किया गया है। जिससे अंतिम डिक्री की पालना सुनिश्चित नहीं हो पा रही है। अतः विभाजन तालिका में खसरा संख्या 18/17.8871 है0 एवं खसरा संख्या 178/18/3.7231 है0 के साथ गांव का वास्तविक नाम पूंजाबेरी लिखा जावे। पत्रावली का अध्ययन किया बाद अवलोकन पाया कि प्रकरण में अंतिम डिक्री दिनांक 14.08.2025 में लिपिकीय त्रुटि से विभाजन तालिका में पुंजाबेरी के स्थान पर बेरीगांव गांव अंकित किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री दिनांक 14.08.2025 में उक्त संशोधन कर संशोधित अंतिम डिक्री जारी की जानी उचित है। अतः हाल सह काश्तकार बाद तकसीम अपने पृथक–पृथक संबंधित खाते में दर्ज खातेदारी आराजी के अलावा अन्य खातेदारी आराजी पर बेदखल करने का प्रयास नहीं करने एवं आमद रफत में मजाहमत उत्पन्न नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित है। अतः

आदेश है कि

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

भलमती बनाम सुगणी
2024/69
संशोधित निर्णय दिनांकः–27.01.2026

दावा वादी अन्तर्गत धारा–88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 18/17.8871 है0, 178/18/3.7231 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
भलमतीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति विश्नोई हि0 पूर्ण सा0 देशांतरी नाडी खातेदार	पूंजाबेरी	18	2.4011	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.4011 है0				
गणपतलाल विश्नोई पुत्र किशनाराम हि0 3/128 जााति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी तुलछीदेवी पत्नी हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई सा0 देह रहन–एसबीआई गुड़ामालानी भागीरथ पुत्र विरधा हि0 3/32 जाति विश्नोई लाछीदेवी पत्नी फगलूराम हि0 1/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र पेलादराम हि0 3/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई शांतिदेवी पत्नी हेमा हि0 3/64 जाति विश्नोई सुखराम पुत्र फगलू हि0 1/32 जाति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी सुगणी पुत्री रामचन्द हि0 9/32 जाति विश्नोई सुजानाराम पुत्र हरचंद हि0 1/32 जाति विश्नोई सुवटी पत्नी रामचन्द्र हि0 9/32 जाति विश्नोई सिणगारी पत्नी किशनाराम हि0 3/128 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी	पूंजाबेरी	18 18	5.500 9.9860	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 15.4860 है0				
गणपत विश्नोई पुत्र किशनाराम हि0	पूंजाबेरी	178/18	3.7231	बा0सो0

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

3/128 जाति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी तुलछीदेवी पत्नी हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी भागीरथ पुत्र विरधा हि0 3/32 जाति विश्नोई लाछीदेवी पत्नी फगलूराम हि0 1/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र पेलादराम हि0 3/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई वरजूदेवी पत्नी सवाईराम हि0 1/4 जाति सुथार शांति पत्नी हेमा हि0 3/64 सुखराम पुत्र फगलू हि0 1/32 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी सुगणी पुत्री रामचन्द्र हि0 5/16 सुजाना पुत्र हरचंद हि0 1/32 सिणगारी पत्नी किशनाराम हि0 3/128 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी				
कुल किता 01 रकबा 3.7231 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। इसी अनुसार पृथक से पर्चा डिक्री तैयार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी को पालनार्थ हेतु भिजवाई जावे। अहकाम जारी हो। पक्षकारान खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह निर्णय आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय
सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी
गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः— 2024 / 69 दर्ज तिथिः—06.02.2024

1. भलमती देवी पत्नी रामचन्द्र
जाति विश्नोई निवासी देशांतरीनाडी तहसील गुडामालानी

..................वादी

बनाम

1. सुगणी पुत्री रामचन्द्र
2. गणपतलाल पुत्र किशनाराम
3. तुलसीदेवी पत्नी हरचन्द
4. भागीरथराम पुत्र विरधाराम
5. सुखराम पुत्र फगलूराम
6. सिणगारी पत्नी किसनाराम
7. लाछी पत्नी फगलू
8. लाधूराम पुत्र पैलादराम
9. लाधुराम पुत्र हरचन्दराम
10. सुजानाराम पुत्र हरचन्दराम
11. वरजूदेवी पत्नी सवाईराम
12. शांतिदेवी पत्नी हेमाराम
जाति विश्नोई निवासी पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी

...............असल प्रतिवादीगण

14. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई बैंक शाखा गुडामालानी
15. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई बैंक शाखा राणा प्रताप बाजार गुडामालानी
16. तहसीलदार गुडामालानी ....तकमीली प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः— श्री बाबूलाल विश्नोई
प्रतिवादीगणः— श्री डालुराम चौधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा— 53,188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955

—ःपर्चा डिक्रीः—

दावा वादी अन्तर्गत धारा—88, 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 बाबत तकसीम आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है एवं हाल आराजी खसरा संख्या 18/17.8871 है0, 178/18/3.7231 है0 मौजा पूंजाबेरी तहसील गुडामालानी मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा–ट्रेस नीचे अंकित तालिकानुसार दावा वादी डिक्री किया जाता है। पक्षकारान के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता कायम करते हुए अलग–अलग खाता प्रविष्टिया दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार गुड़ामालानी को दिये जाते हैं।

खातेदार	ग्राम	खसरा	रकबा	किस्म
भलमतीदेवी पत्नी रामचन्द्र जाति विश्नोई हि0 पूर्ण सा0 देशांतरी नाडी खातेदार	पूंजाबेरी	18	2.4011	बा0सो0
कुल किता 01 रकबा 2.4011 है0				
गणपतलाल विश्नोई पुत्र किशनाराम हि0 3/128 जााति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी तुलछीदेवी पत्नी हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई सा0 देह रहन–एसबीआई गुड़ामालानी भागीरथ पुत्र विरधा हि0 3/32 जाति विश्नोई लाछीदेवी पत्नी फगलूराम हि0 1/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र पेलादराम हि0 3/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई शांतिदेवी पत्नी हेमा हि0 3/64 जाति विश्नोई सुखराम पुत्र फगलू हि0 1/32 जाति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी सुगणी पुत्री रामचन्द हि0 9/32 जाति विश्नोई सुजानाराम पुत्र हरचंद हि0 1/32 जाति विश्नोई सुवटी पत्नी रामचन्द्र हि0 9/32 जाति विश्नोई सिणगारी पत्नी किशनाराम हि0 3/128 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी	पूंजाबेरी	18 18	5.500 9.9860	बा0सो0 बा0सो0
कुल किता 02 रकबा 15.4860 है0				
गणपत विश्नोई पुत्र किशनाराम हि0 3/128 जाति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी	पूंजाबेरी	178/18	3.7231	बा0सो0

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested

तुलछीदेवी पत्नी हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई रहन–एसबीआई गुड़ामालानी भागीरथ पुत्र विरधा हि0 3/32 जाति विश्नोई लाछीदेवी पत्नी फगलूराम हि0 1/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र पेलादराम हि0 3/32 जाति विश्नोई लाधूराम पुत्र हरचंदराम हि0 1/32 जाति विश्नोई वरजूदेवी पत्नी सवाईराम हि0 1/4 जाति सुथार शांति पत्नी हेमा हि0 3/64 सुखराम पुत्र फगलू हि0 1/32 रहन–एसबीआई गुड़ामालानी सुगणी पुत्री रामचन्द्र हि0 5/16 सुजाना पुत्र हरचंद हि0 1/32 सिणगारी पत्नी किशनाराम हि0 3/128 जाति विश्नोई सा0 देह खातेदार रहन–एसबीआई गुड़ामालानी				
कुल किता 01 रकबा 3.7231 है0				

उक्तानुसार पक्षकारान अपने–अपने हिस्से की खातेदारी आराजी को अपने नाम खातेदारी में पृथक–पृथक खाता दर्ज कराने के अधिकारी है तथा असल प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादी के उपरोक्त दर्ज खाता हिस्सा आराजी पर जबरन कब्जा बेदखल न करे, ना ही किसी प्रकार के कब्जे काश्त में रूकावट व मजाहमत पैदा करें तथा शक्ल मौका आराजी ना बदले।

नक्शा कुर्रेजात निर्णय का अनन्य भाग रहेगा। अहकाम जारी हो।
खर्चा अपना–अपना वहन करेगें।

यह डिक्री आज दिनांक 27.01.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर कर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर खुले न्यायालय में सुनाई गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढ़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2026.02.06 13:55:01 IST
Reason: SelfAttested